

आदेश

प्रस्तुत राणी नामा के अनुसार बाद पत्र आधिकारिक
स्वीकार किया जाता है तथा जिसे इस आदेश के
ही कारी है कि ग्राम लीला वाड़ की संरक्षक में स्थित
ग्राम स्व.सं. 1175 रकबा 1.47 है. में वर्ष प्रति
नं. 1 प्रेमकंवर का हिस्सा 1/2 के लक्ष्य वादी
शमकुमारसिंह को खातेदार घोषित किया जाता है
तथा उक्त वर्जित ग्राम में से प्रति. नं. प्रेमकंवर का
नाम हटाया किया जाता है।

इसी प्रकार ग्राम लीला वाड़ के ग्राम स्व.सं. 662 लगायत
668 किला-7 कुल रकबा 0.76 है. में से प्रति. नं. 1
प्रेमकंवर का वर्ष हिस्सा 1/8 के लक्ष्य वादी शमकुमारसिंह
को खातेदार का मतानर घोषित किया जाता है तथा
इस खाते से प्रति. नं. 1 प्रेमकंवर का नाम हटाया किया
जाता है। इसके अलावा शेष खाता बदलतुर रहेगा।

इसी प्रकार ग्राम लीला वाड़ के ग्राम स्व.सं. 1221 रकबा
0.78 है एवं 1222/1 रकबा 0.28 है. किला 2 कुल
रकबा 1.06 है. में वादी शमकुमार सिंह के लक्ष्य
प्रति. नं. 1 प्रेमकंवर को खातेदार का मतानर घोषित
किया जाता है तथा इस खाते से वादी शमकुमारसिंह
का नाम हटाया किया जाता है।

चूंकि उक्त प्रकार के विनिमय से संबंधित है और
उपरोक्त उद्देश्यपूर्वक अधिक ग्राम का मुद्रांक शुल्क
कलमा करवाने तदनुसार तदशीलवार उद्देश्यपूर्वक
राजस्व रिकार्ड में उमल दर्ज करे। जिसे पचा
कारी हो। प्रस्तुत राणीनामा इस आदेश का हिस्सा रहेगा
पकावली फैसलकुमार होकर गम्बर से काम हो
तथा बाद तकमील कारिवेल इतर रहे।

विधिम आण्ड डिपेंड 11.6.18 को जे.प. कोर
शुक्रवाचपुरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी